



झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय, राँची

CENTRAL UNIVERSITY OF JHARKHAND, RANCHI
(संसदीय अधिनियम के तहत 2009 में स्थापित विश्वविद्यालय)

पत्र सं.: झा. के. वि./जी.ए./26/2010/पी.एफ./33

दिनांक: 10 मई, 2024

सूचना

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना ज्ञापांक सं.10/सा.अव.-03-01/2024 का.2493/राँची, दिनांक:04.04.2024 के आलोक में दिनांक:13 मई, 2024 (सोमवार) को लोहरदगा निर्वाचन क्षेत्र में आसन्न लोकसभा आम चुनाव-2024 मतदान के मद्देनजर झारखंड केन्द्रीय विश्वविद्यालय, ब्राम्बे परिसर, राँची में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है।

यह माननीय कुलपति के अनुमोदन पर जारी किया जा रहा है।

कुलसचिव

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु

1. सभी स्कूल के डीन
2. वित्त अधिकारी/पुस्तकालयाध्यक्ष/परीक्षा नियंत्रक
3. डीन (शैक्षणिक)/ डीन (आर एंड डी) / निदेशक (आइक्यूसी)
4. सभी विभागाध्यक्ष / समन्वयक
5. मुख्य सतर्कता अधिकारी / डीन छात्र कल्याण/ अध्यक्ष नामांकन कक्ष
6. प्रोफेसर (प्रभारी आइए) /परिवहन प्रभारी/ क्रय प्रभारी /कार्य.अभि. (प्रभारी)
7. समन्वयक, एनसीसी/समन्वयक एनएसएस/खेलकूद प्रभारी
8. उपकुलसचिव-I/III/ जनसंपर्क अधिकारी (प्रभारी)/ हिन्दी अधिकारी (प्रभारी)
9. सभी सहायक कुलसचिव/चिकित्सा कक्ष (प्रभारी)/ सुरक्षा अधिकारी
10. विश्वविद्यालय के सभी विभाग / कक्ष
11. सभी शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मचारी (वेबसाइट /सूचना पट्ट का संदर्भ लें)
12. तकनीकी कक्ष-विश्वविद्यालय वेबसाइट के लिए
13. राजभाषा प्रकोष्ठ – हिन्दी अनुवाद हेतु
14. कुलपति/कुलसचिव/वित्त अधिकारी के निजी सचिव
15. सूचना पट्ट/संबंधित फाइल और गार्ड फाइल